जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2008 / डी–4[illegible]   दिनांक: 24/7/08

विषय:– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 70 वीं बैठक दिनांक 21.07.2008 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र0सं0	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	70.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 69 वीं बैठक दिनांक 09.07.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 69 वीं बैठक दिनांक 09.07.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2	70.2	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या एम.पी.–1, के पास के भूखण्ड एवं भूखण्ड संख्या एम–1, ग्रेटर कैलाश के एफएआर निर्धारण के संबंध में।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं आवेदक श्री संजय गुप्ता को भी सुनवाई का मौका दिया गया तथा विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:– 1. भवन विनियम 2000 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्डों पर एफ.ए.आर. 1.75 अनुज्ञेय किया जावे। 2. पुनर्गठित भूखण्डों में जो भी अतिरिक्त एफ.ए.आर. 1.2 से 1.75 के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर की राशि ली जावे। आवेदक द्वारा पूर्व में आवासीय उपयोग हेतु 1.2 से 1.67 एफ.ए.आर. के लिए जो राशि पूर्व में जमा करवाई जा चुकी है उसका समायोजन करते हुये शेष राशि लिये जाकर धारा 25(1) की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त रूपान्तरण आदेश जोन स्तर से पारित किये जावे।	
3	70.3	खसरा नम्बर 1997 (पार्ट) व 1998 (पार्ट) ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के आवासीय फ्लेट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. स्टिल्ट फ्लोर / बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।	

			2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।	
4	70.4	ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 64, 65 व 66 में प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित रिसोर्ट भूखण्ड के सामने 80 फीट चौड़ी सड़क रखते हुये लीजडीड व स्थल मानचित्र जारी किया गया है एवं मौंके पर भी भूखण्ड के सामने 80′–0″ चौडी सडक मौजूद है। अतः रिसोर्ट के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदित किये जावे।	
5	70.5	पुर्नगठित भूखण्ड सं. 43 व 44 प्रेशवेसरिया नगर जयपुर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 29.02.2008 दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में लागू भवन विनियम 2000 के अनुसार कार्यवाही की जावे। 2. भवन विनियम 2000 के पूर्व प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये भवन की ऊँचाई 24 मीटर + 3 मीटर स्टिल्ट की ऊँचाई को अनुज्ञेय किया जावे। 3. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 4. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 5. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।	
6	70.6	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 187 से 190 कनक विहार अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ आवासीय फ्लेट्स के भवन	

		फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. स्थल मानचित्र में 30 फीट सड़क की तरफ सैटबैक 15 फीट (4.5मीटर) अंकित किया गया है जो योजना के प्रावधानों के अनुसार है, उसकी स्वीकृति दी जाती है। 2. पुनर्गठन के पश्चात अनुज्ञेय एफएआर 1.67 देय है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.03.2007 के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क लिया जावे। 3. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।	
7	70.7	सिरसी रोड़ स्थित कनक वृन्दावन के भूखण्ड संख्या–जी–7 में आवासीय फ्लेटस के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ आवासीय फ्लेटस के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।	
8	70.8	खसरा नम्बर 386, 400/1015, 387/1016, 388/1017, 398/1018, 388/1019, 390/1020, 1014/398, 386/958, 389, 374 ग्राम पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जयसिंहपुरा, मोहाना रोड, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
9	70.9	भूखण्ड संख्या जी एच–6, ग्रुप हाउसिंग योजना रातल्या, सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया	

			गया:— 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

24/7/08

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी)
जविप्रा, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 70 वीं बैठक दिनांक 21.07.2008 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मन्थन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री अशोक जैन, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री वीरू सिंह राठोड, विधायक	सदस्य
3.	श्री आर. एन. मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री बी. के. दोसी, अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्री महेन्द्र सोनी, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा,जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्रीमती दीप्ती कछावा, उपायुक्त जोन–3, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा जयपुर।
3. श्री शेरा राम जी, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (बीपी) जविप्रा, जयपुर।

24/7/08
सदस्य सचिव (बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः ज विप्रा / स.स. / बीपीसी / 2008 / डी–780 दिनांक : 24/7/08

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

24/7/08
सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।